संख्या-5/2024-वे0आ0-2-407/दस-2024-ई0प0क0सं0-1761525

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
गृह (पुलिस) विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 10 जुलाई, 2024**

विषय : श्री राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता की दर को संशोधित किये जाने हेतु लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1018/09-34/1/07-टी0सी0/सी0एक्स-4, दिनांक 01 दिसम्बर, 2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता की दरों को संशोधित किया गया था।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति (2016) के सातवें प्रतिवेदन के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल एवं मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा में लगे सुरक्षाकर्मियों को अनुमन्य प्रोत्साहन भत्ता की वर्तमान अधिकतम सीमा रू0 12,500/- प्रति माह को संशोधित कर रू0 22,000/- प्रति माह किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसकी अनुमन्यता हेतु पूर्व में लागू शर्त एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

3- उक्त संशोधित दर तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

4- कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in